(च) इस संबंध में सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुजरात के प्रमुख शहरों में प्रदूषण के स्तरों में कोई विशेष रुख नहीं देखा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) वायु और जल को प्रदूषित करने के संभावना वाले उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था करें। दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों में 167 इकाइयों में से 167 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित कर ली हैं और ये निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं, दो इकाइयां बन्द हैं तथा बाकी 8 इकाइयों ने प्रदूषण सुविधाओं की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(च) गुजरात के प्रमुख शहरों में प्रदूषण स्तरों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अगले कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

2. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है।

3. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे एक समय-बद्ध आधार पर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण अवकरण स्थापित करें तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

4. विनिर्माण तथा प्रयोग में लाए जा रहे, दोनों प्रकार के वाहनों के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों के प्रभावी पालन के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। विनिर्माण स्तर पर वाहनों के लिए कठोर मानक पहली अप्रैल, 1996 से लागू होंगे।

5. उद्योगों के स्थान निर्धारण एवं प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

6. उद्योगों को कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें।

7. लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह में साझे वहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

8. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लिए तथा उद्योगों की भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए स्वरित अवमूल्यन प्रदान किया जाता है।

9. प्रदूषण नियंत्रण / निगरानी उपकरणों के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।

10. केन्द्रीय प्रदूषण नियनत्रण बोर्ड ने उद्योगों और मोटर-गाड़ियों के अलावा अन्य स्रोतों से शोर प्रदूषण के लिए प्रक्रिया संहिताएं तैयार की हैं। इनमें सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली, वायुयान आपरेशन, रेलवे आपरेशन, निर्माण गतिविधियां तथा पटाखे फोड़ना शामिल हैं। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे संगत स्थानीय अधिनियमों के तहत इन प्रक्रिया संहिताओं की कार्यान्वित करें।

11. मोटर-गाड़ियों, घरेलू उपकरणों तथा निर्माण उपकरणों के लिए शोर सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।

Granting of permits / lease for fishing

221. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the number of permits / lease granted for joint ventures for test fishing in the Food Processing sector since July, 1990;

(b) whether Government have now changed its policy and cancelled all these permits; and

(c) if so, the reasosn for taking such decision?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Eight companies were granted approval for operation of 15 vessels under test fishing. These approvals have since expired. At present, there is no valid approval for test fishing.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.